

28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति	प्राप्त करने वाला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6.	कोई अध्याय	इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्कैप	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कोई प्राधिकृत व्यक्ति"

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 36/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1285(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) after S. No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Any Chapter	Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap	Central Government, State Government, Union territory or a local authority	Any registered person

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 37/2017-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1286(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ